झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2021

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक,2021

झारखण्ड राज्य में नियोक्ता द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का पचहत्तर प्रतिशत नियोजन तथा उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह अधिनियम वैसे दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों, उपक्रमों, उद्योगों,कंपनियों, सोसाइटियों, न्यासों, सीमित दायित्व भागीदारी फ़र्मों, भागीदारी फर्म और दस या दस से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाले किसी व्यक्ति और किसी संस्था, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित की जाए, को लागू होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

2. परिभाषाएँ:-

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड सरकार;

(ख) "प्राधिकृत पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी;

(ग) "अभिहित पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, संबन्धित जिला के उपायुक्त;

(घ) "अभिहित पोर्टल" से अभिप्रेत है, धारा 3 तथा 4 के अधीन स्थानीय उम्मीदवारों तथा कर्मचारियों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रूपांकित तथा अभिहित कोई पोर्टल;

(ङ) "नियोक्ता" से अभिप्रेत है, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ङ) में परिभाषित उपक्रम अथवा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 3 (घ) में उपक्रम के रूप में परिभाषित उद्योग अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) अथवा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन यथा परिभाषित कोई न्यास अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन यथा परिभाषित कोई भागीदारी फर्म अथवा विनिर्माण के प्रयोजन अथवा कोई सेवा उपलब्ध करवाने के लिए वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या दस से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाए, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार शामिल नहीं होगा ;

(च) "सरकार" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार;

(छ) "स्थानीय उम्मीदवार" से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वैसे उम्मीदवार जो झारखण्ड राज्य का निवासी हो तथा अभिहित पोर्टल पर पंजीकृत हों;

3. अनिवार्य पंजीकरण :-

प्रत्येक नियोक्ता, इस अधिनियम के लागू होने के तीन मास के भीतर, अभिहित पोर्टल पर तीस हजार रुपए से अनधिक या सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अधिसूचित सकल मासिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारियों को पंजीकृत करेगा:

परंतु किसी भी नियोक्ता द्वारा कोई भी व्यक्ति तब तक नियोजित या लगाया नहीं जाएगा, जब तक ऐसे सभी कर्मचारियों का पंजीकरण अभिहित पोर्टल पर पूरा नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण - इस अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के प्रयोजनों के लिए, अभिहित पोर्टल पर पंजीकरण के लिए वह प्रक्रिया होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित नियमों के अधीन विहित की जाय ।

4. स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती:-

इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, प्रत्येक नियोक्ता, तीस हजार रुपए से अनधिक या सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अधिसूचित सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों, जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हों एवं उसके उपरांत उत्पन्न कुल रिक्ति का पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों से नियोजित करेगा:

परंतु यह की कोई भी स्थानीय उम्मीदवार, इस अधिनियम के अधीन लाभों के उपभोग हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह अपने आप को अभिहित पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करवा लेता/लेती है।

5. छूट :-

(1) नियोक्ता, ऐसे प्रपत्र एवं रीति, जो विहित की जाए, द्वारा अभिहित पदाधिकारी को आवेदन कर धारा 4 की अपेक्षा से छूट का दावा कर सकता है, जहां वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता के स्थानीय उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(2) अभिहित पदाधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे और वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता के स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए प्रयास का मूल्यांकन करने के बाद नियोक्ता के दावे को स्वीकार कर सकता है/रद्द कर सकता है या नियोक्ता को निदेश दे सकता है कि स्थानीय उम्मीदवारों को समय-समय पर विहित रीति से प्रशिक्षित कर नियोजित करे। अभिहित पदाधिकारी द्वारा इस उप-धारा के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को सरकार की अभिहित पोर्टल पर डाला जाएगा।

6. नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना:-

प्रत्येक नियोक्ता, रिक्ति एवं नियोजन से संबन्धित त्रैमासिक प्रतिवेदन अभिहित पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र एवं तिथि के अनुसार उपलब्ध करायेगा।

7. अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक पहुँच, सत्यापन करने की शक्ति:-

(1) **धारा 6 के अधीन नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिवेदन की जांच प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।**

(2) **प्राधिकृत पदाधिकारी को धारा 6 के अधीन प्रस्तुत की गई प्रतिवेदन का सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए किसी नियोक्ता के कब्जे में किसी अभिलेख, सूचना या दस्तावेज़ की मांग करने की शक्तियाँ होगी ।**

(3) **प्राधिकृत पदाधिकारी, प्रतिवेदन की जांच करने के बाद, कोई भी आदेश पारित कर सकता है, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की अनुपालना करने के लिए आवश्यक हो।**

(4) **प्रत्येक नियोक्ता प्राधिकृत पदाधिकारी को सभी प्रकार से सहायता प्रदान करेगा और यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने मे विफल रहता है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।**

(5) **उपधारा (3) एवं (4) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक ऐसा आदेश सरकार की अभिहित पोर्टल पर डाला जाएगा।**

8. अपील :-

(1) **धारा 5 के अधीन अभिहित पदाधिकारी अथवा धारा 7 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई नियोक्ता, ऐसे अपील पदाधिकारी को साठ दिन के भीतर ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है।**

(2) उप- धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ ऐसी फीस लगाई जाएगी जो विहित की जाए।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति के बाद, अपीलीय प्राधिकार, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद, यथा संभव शीघ्रता से अपील का निपटान करेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकार ऐसे आदेश को विखंडित, पुष्ट या उपांतरित कर सकता है।

(5) अपीलीय प्राधिकार ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए।

9. सामान्य शास्ति :-

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि नियोक्ता द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अधिनियम के अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश की उल्लंघना की गयी है, तो वह ऐसी शास्ति, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे पचास हजार रुपए तक बढाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोष सिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए दायी होगा।

10. धारा 3 की उल्लंघना के लिए शास्ति :-

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता, इस अधिनियम की धारा 3 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या इसके अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश की उल्लंघना करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपए तक बढाई जा सकती है, से दंडनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

11. धारा 4 की उल्लंघना के लिए शास्ति:-

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता, इस अधिनियम की धारा 4 या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों या इसके अधीन दिए गए लिखित में किसी आदेश की उल्लंघना करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद

भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक बढाई जा सकती है, से दंडनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

12. धारा 5 के अधीन जारी किए गए निर्देश की अवज्ञा के लिए शास्ति :-

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रुप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता, धारा 5 के अधीन अभिहित पदाधिकारी द्‌वारा किए गए लिखित में किसी आदेश की अवज्ञा करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पचास हज़ार रुपये से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे दो लाख रुपए तक बढाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक बढाई जा सकती है, से दंडनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

13. अभिलेख इत्यादि के मिथ्याकरण और प्रस्तुत नहीं करने के लिए शास्ति:-

(1) जो कोई भी -

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमो के किन्हीं उपबंधो की अनुपालना के सम्बन्ध में किसी दस्तावेज के बारे में झूठे अभिलेख प्रस्तुत करता है या जालसाजी करता है या जानबूझकर कोई झूठा कथन, घोषणा करता है या साक्ष्य प्रस्तुत करता है या प्रयोग करता है; या

(ख) विवरण, इन्द्राज या ब्यौरे देते हुए जानबूझकर कोई झूठी विवरणी तैयार करता है, नोटिस देता है, अभिलेख या प्रतिवेदन परिदत्त करता है, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक बढाई जा सकती है, से दंडनीय होगा।

(2) जहां उप- धारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया कोई व्यक्ति उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए दोबारा दोषसिद्धि ठहराया जाता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक बढाई जा सकती हैं, से दंडनीय होगा।

13 (क) शास्ति की वसूली :-

जहाँ धारा-9, 10, 11, 12 एवं 13 के अधीन किसी नियोक्ता पर अधिरोपित किसी शास्ति का संदाय नहीं किया जाता हैं , वहाँ जिला नियोजन पदाधिकारी/ नियोजन पदाधिकारी ऐसे नियोक्ता से देय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र तैयार कर सकेगा, जिसपर उसके हस्ताक्षर होंगे और उसे उस जिले के उपायुक्त/ जिला दंडाधिकारी/ जिला समाहर्ता को,

जिस जिले में ऐसा नियोक्ता अपना कारोबार करता है, भेजेगा और उक्त उपायुक्त/ जिला दंडाधिकारी/ जिला समाहर्ता ऐसे प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर उसमें विनिर्दिष्ट रकम को ऐसे नियोक्ता से वसूल करने के लिए वैसे ही अग्रसर होगा मानो वह बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत भू-राजस्व की बकाया हो।

14. सुनवाई का नोटिस तथा अवसर :-

(1) इस अधिनियम की धारा 5 या धारा 7 के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक नियोक्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, तब तक संबद्ध व्यक्ति को अभिहित पदाधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति के आधारों को लिखित रूप में सूचित करने और उसे सुनवाई का अवसर देने का नोटिस नहीं दे दिया जाता है।

15. अभियोजन की परिसीमा और अपराध का संज्ञान :-

अनुमण्डल दंडाधिकारी से अन्यून, कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक प्राधिकृत पदाधिकारी या अभिहित पदाधिकारी द्वारा कथित अपराध होने की जानकारी की तिथि से छह मास के भीतर उसके संबंध में कोई परिवाद नहीं की जाती है।

व्याख्या - इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(i) अपराध जारी रहने की दशा में, परिसीमा की अवधि, अपराध जारी रहने के दौरान हर समय के संदर्भ में संगणित की जाएगी;

(ii) जहां कोई कार्य करने के लिए, नियोक्ता द्वारा किए गए आवदेन पर समय प्रदान या विस्तारित किया जाता है, तो इस प्रकार प्रदान या विस्तारित समय की समाप्ति तिथि से परिसीमा की अवधि संगणित की जाएगी।

16. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण :-

इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी प्राधिकृत पदाधिकारी या अभिहित पदाधिकारी या ऐसे प्राधिकृत पदाधिकारी या अभिहित पदाधिकारी के आदेश या निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई भी वाद या विधिक कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।

17. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति:-

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हों ।

18. अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी/लागू करने की शक्ति:-

सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु समय-समय पर लिखित निदेश या आदेश निर्गत कर सकती है ।

19. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना:-

तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध का अध्यारोही प्रभाव होगा ।

20. नियम बनाने की शक्ति:-

(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, तुरंत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्य एवं हेतु

''**झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2021**'' का मुख्य उद्देश्य एवं हेतु झारखण्ड राज्य में अवस्थित निजी क्षेत्र के कारखानों एवं उद्योगों में कुल रिक्ति के 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन प्रदान करना है।

प्रवासी मजदूरों, विस्थापितों एवं स्थानीय जनता की बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु झारखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों/उद्योगों/संयुक्त उद्यमों तथा ऐसी परियोजनाएँ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत् संचालित हैं, में नियुक्ति हेतु रू० 30,000/- (तीस हजार रूपये) से अनधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों, जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हों एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्त पदों के 75% के विरूद्ध स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

यह विधेयक, जनता के हित में बड़े पैमाने पर, झारखण्ड के निजी नियोक्ताओं को स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने में सफल सिद्ध होगा। चूँकि कार्यबल किसी औद्योगिक संगठन/कारखाना के विकास का प्रमुख घटक होता है। अतएव यह विधेयक योग्य तथा प्रशिक्षित कार्यबल/श्रमिक/कर्मचारियों के स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निजी नियोक्ताओं को लाभ प्रदान करेगा।

(सत्यानन्द भोक्ता)
भार साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 30(A)--200--18-3-2021 ।